

प्रेषक,

अवध किशोर,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,

प्राविधिक शिक्षा,

उ०प्र०, कानपुर ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 12 अप्रैल, 2016

विषय:- इनोवेशन एवं इन्क्यूबेशन सेंटर्स के संचालन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 31.03.2016 को समस्त राजकीय/अनुदानित पॉलीटेक्निक संस्थाओं को प्रेषित किये जाने एवं वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इनोवेशन एवं इन्क्यूबेशन सेंटर के संचालन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1368/सोलह-1-2016-14(28)/2015 दिनांक 31.03.2016 की छाया प्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत शासनादेश को अपने स्तर से समस्त राजकीय/अनुदानित पॉलीटेक्निक संस्थाओं को प्रेषित करते हुए इसे निदेशालय/संस्था की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अवध किशोर)
अनु सचिव

प्रेषक

नुकुल सिंहल,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रो० विनय कुमार पाठक,
कुलपति,
डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ
2. प्रो० अजय सिंह
कुलपति
मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय, गोरखपुर
3. श्री ओ०पी० वर्मा,
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० कानपुर

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 2016

विषय:- इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन सेंटर्स के संचालन हेतु नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1563/सोलह-1-2014-14(4)/2014 टी.सी. दिनांक 29.05.2014, पत्र संख्या-1017/सोलह-1-2014-14(4)/2014 दिनांक 27.03.2015, संख्या-2695/सोलह-1-2015-1(12)/2015 दिनांक 11.08.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ के आर्थिक संसाधनों से प्रदेश के अभियंत्रण संस्थाओं यथा एच०बी०टी०आई०, कानपुर में सिविल एवं कैमिकल इंजीनियरिंग, यू०पी०टी०टी०आई०, कानपुर में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, आई०ई०टी० लखनऊ में इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर साइंस एवं इनफारमेशन टेक्नालाजी तथा एम०एम०एम०यू०टी०, गोरखपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विधाओं में इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन के नॉडल सेंटर्स की स्थापना की गई है। डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा इन्हें वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ ग्रास रूट लेबल के व्यक्तियों/पारम्परिक ज्ञान से संबंधित लोगों, उद्योगों, शोध केन्द्रों, प्रदेश में स्थापित तकनीकी संस्थानों और सम्बद्ध कालेजों का एक तंत्र तैयार करके इनोवेशन के संवर्धन में योगदान दिया जाएगा। समय-समय पर इच्छुक तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन सेंटर के रूप में घोषित कर इनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी।

शासन के कार्यालय द्वारा संख्या-425/सोलह-1-2016-14, 25/2015 दिनांक 04.02.2016 द्वारा प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग के सभी इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन सेंटर्स के अनुश्रवण एवं उनमें परस्पर समन्वय हेतु एक सेल का भी गठन किया गया है। यह समस्त कार्यवाही नियोजन विभाग के अंतर्गत राज्य इनोवेशन सेल के क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गयी है। नियोजन अनुभाग-1 के कार्यालय द्वारा संख्या-43/2015/1218/35-1-2015/2/1(29)/2015, दिनांक 07.12.2015 के संकलनक-3 में प्राविधिक शिक्षा विभाग के लिए एकाधिकार नर्सवरी सिद्धान्त का विवरण दिया गया है।

3. शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन के क्रियाकलापों एवं तत्क्रम में स्थापित सेन्टर्स के सुचारु संचालन हेतु निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है :-

उद्देश्य

- (1) नवीनतम तकनीकी एवं व्यावसायिक विचारों को वास्तविक उत्पाद एवं सेवाओं में परिवर्तित करना।
- (2) कृषि, विज्ञान, सेवाओं, तकनीकी आदि जीवन की प्रत्येक शाखाओं में नवीनतम अन्वेषण को नूर्तरूप में साकार करना।
- (3) शिल्पकारों, बुनकरों, कास्तकारों, नैकनिकल, बढ़ई, कुम्हार आदि के उत्पादों के अन्वेषण को सुधार कर ऐसे उत्पाद विकसित करना, जो वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक हों।
- (4) लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने के उपाय करना।
- (5) उपलब्ध क्षमता के अनुसार उद्योगों/अन्य संस्थाओं को परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।
- (6) व्यावसायिक उत्पादन में जाने से पूर्व नव उत्पाद का बाजार परीक्षण एवं उत्पाद के सुधार हेतु तकनीकी Hand Holding सहायता प्रदान करना।

पात्रता

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति/संस्था/उद्योग सम्मिलित हो सकेंगे :-

- (1) उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति।
- (2) उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित संस्था/उद्योग।

आवेदन की प्रक्रिया

4. इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन कार्यों के संचालन के लिए आवेदक/इच्छुक व्यक्ति/संस्था/उद्योग अपने जनपद में तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय पालीटेक्निक के प्रधानाचार्य (संलग्नक-1 में उपलब्ध सूची के अनुसार), जो तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से जनपद समन्वयक होने से सम्बद्ध कर एवं अन्य समझ संलग्नक-2 में अंकित प्रारूप पर अपने विचार/प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। यह आवेदन राज्य सरकार के उचित/उचित शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत राजकीय अभियंत्रण कार्यालय के निदेशक संलग्नक-3 में उपलब्ध सूची के अनुसार को भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

आवेदन प्राप्त होते ही जनपद समन्वयक अथवा सम्बन्धित राजकीय अभियंत्रण कार्यालय के निदेशक जनपद आवेदन को एक विशिष्ट विचार संख्या (Unique Idea No.) आवंटित करेंगे। Unique Idea No. के प्रथम तीन (3) संलग्नक-1 अथवा संलग्नक-3 (जो लागू हों) के क्रम संख्या होंगे। विचार का विवरण Unique Idea No. सहित एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा, जो इस हेतु संस्था द्वारा निर्धारित विचार उद्योग तदनुसृत अर्थात् उसके विचार (Unique Idea No.) सहित प्रारूप की सूचना email तथा SMS से उचित की जायेगी। इस SMS email में यह भी अंकित किया जाएगा कि आवेदक का विचारों पर दौखिक अधिकार है और यदि इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन प्रक्रिया के बाद विचार किसी व्यावसायिक उपयोग में आता है तो उस विचार से प्राप्त होने वाली धनराशि में से 25 प्रतिशत पर मूल विचार देने वाले व्यक्ति/संस्था का अधिकार होगा। शेष आय इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन संस्था तथा विचारों को व्यावसायिक रूप से उपयोग करने वाली व्यावसायिक संस्था की होगी।

आवेदन पत्रों के परीक्षण की प्रक्रिया

उक्त सूची से प्राप्त आवेदन पत्रों/प्रस्ताव को जनपद समन्वयक अथवा राजकीय अभियंत्रण कार्यालय के निदेशक जनपद समन्वयक सूची/सूची के क्रम संख्या अनुसार करेंगे। जनपद समन्वयक सूची/सूची के क्रम संख्या अनुसार होंगे :-

- | | |
|--|---------|
| (1) जनपद में कार्यरत नजदीक अभियंत्रण कालेज के निवेशक | अध्यक्ष |
| (2) जनपद स्थित राजकीय पालीटेक्निक के प्रधानाचार्य
(प्रस्तर-3 में उल्लिखित सूची के अनुसार) | समन्वयक |
| (3) जनपद के इस प्रकार के कार्य के इच्छुक निजी अभियंत्रण कालेज के निवेशक अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो सहायक प्रोफेसर से कम न हो | सदस्य |
| (4) जिला समन्वयक, विज्ञान क्लब | सदस्य |

(जनपद में राजकीय अभियंत्रण कालेज न होने की स्थिति में समन्वयक द्वारा स्क्रीनिंग समिति की अध्यक्षता की जायेगी।)

उपरोक्त स्क्रीनिंग समिति आवेदकों/इनोवेटर्स द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का प्रारम्भिक मूल्यांकन करेगी एवं परीक्षणोपरान्त प्रस्तावों को जनपद स्थित उपयुक्त डिग्री/पालीटेक्निक स्तरीय संस्था को इनोवेशन/इन्क्यूबेशन हेतु संदर्भित करेगी। ऐसी संस्थाओं के परियोजना लेने हेतु सहमत न होने की दशा में संबंधित जनपदीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा उसे किसी अन्य नजदीकी सक्षम संस्था को भेजा जायेगा। यथा आवश्यकता प्रारम्भिक मूल्यांकन के उपरान्त इनोवेशन/इन्क्यूबेशन प्रस्तावों को जनपद स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा इनोवेटर द्वारा वांछित/प्रस्तावित संस्थान अथवा प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हित नोडल सेंटर में से सर्वाधिक उपयुक्त को भेजा जा सकेगा।

5. प्रत्येक जनपद के चिन्हित पालीटेक्निक, जो प्रस्तर-3 में वर्णित संलग्नक-1 में उपलब्ध सूची के अनुसार होंगे तथा घोषित नोडल सेंटर एवं अन्य घोषित इनोवेशन/इन्क्यूबेशन सेंटरों में संस्था स्तरीय इनोवेशन कोर ग्रुप की स्थापना संबंधित संस्था द्वारा की जाएगी। यह कोर ग्रुप इनोवेशन /इन्क्यूबेशन स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्रेषित प्रस्तावों/विचारों का अध्ययन कर अपनी संस्था में उम्मीदवारों को चुनने की क्षमता को देखते हुए इन प्रस्तावों में निर्णय लगे। यदि कोर समिति यह पाता है कि उस संस्था में प्रस्तावित कार्य को नहीं किया जा सकता है तो वह अपना अभिमत स्क्रीनिंग समिति को भेजेगी। स्क्रीनिंग समिति पुनःविचार कर किसी अन्य उपयुक्त संस्था को प्रकरण को कार्यवाही हेतु संदर्भित करेगी।

इस प्रकार संस्था द्वारा कार्य हेतु लिए गए विचार/परियोजना पर इनोवेटर/आवेदक के साथ समन्वय करते हुए उसे अपना पूर्ण सहयोग देगी तथा अभिनव विचार/परियोजना को साकार करने का प्रयास करेगी। संस्था स्तरीय कोर समिति यह भी निर्णय करेगी कि उसके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव इनोवेशन अथवा इन्क्यूबेशन में से किस प्रकृति का है। इस हेतु कार्य करने वाले इनोवेशन/इन्क्यूबेशन सेंटर निम्न प्रकार धनराशि मूल आवेदक से प्राप्त कर सकेंगे:-

क्र.	सुविधा का नाम	इनोवेशन कार्य हेतु ग्राह्य शुल्क	इन्क्यूबेशन कार्य हेतु ग्राह्य शुल्क
1	कम्प्यूटर सुविधा	शून्य	रु 1000.00 प्रति कम्प्यूटर प्रति माह
2	प्रिन्टर सुविधा	शून्य	रु 1.00 प्रति पृष्ठ
3	इन्टरनेट सुविधा	शून्य	रु 500.00 प्रति माह
4	लाइब्ररी	शून्य	शून्य
5	लैब्रोरेट्री सुविधा	शून्य	शून्य
6	अध्यापक/विद्यार्थियों का तकनीकी ज्ञान व उनका सहयोग	शून्य	शून्य
7	संस्था में इन्क्यूबेशन सुविधा	शून्य	शून्य
8	संस्था में इन्क्यूबेशन सुविधा	शून्य	शून्य

9	विद्युत व्यय	शून्य	वास्तविकता के आधार पर
10	कन्ज्यूमेबिल्स	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय
11	स्थान/आफिस किराया (यदि आवश्यक हो)	रु 2.00 प्रति वर्ग फिट अधिकतम 500.00 प्रति माह (अधिकतम एक माह)	रु 10.00 प्रति वर्ग फिट अधिकतम 2500.00 प्रति माह तथा अधिकतम एक माह हेतु
12	छात्रावास सुविधा	रु 300.00 प्रति माह अधिकतम 24 माह के लिए	रु 500.00 प्रति माह अधिकतम 24 माह के लिए
13	मेस सुविधा	वास्तविक	वास्तविक
14	अन्य सुविधायें जो संस्था आवश्यक समझे	वास्तविक	वास्तविक

6. परियोजना स्वीकार करने के समय संस्था की कोर समिति, विषय विशेषज्ञ के साथ विचार-विनिर्देश कर यह भी निर्धारित करेगी कि परियोजना कितने समय में पूर्ण की जानी चाहिए। प्रत्येक स्वीकार की गयी परियोजना के विषय में निम्न प्रारूप पर मासिक सूचनाएं संस्था के विशेषज्ञ, जिनकी देखरेख में कार्य होंगे, द्वारा प्राविधिक रिपोर्ट अनुभाग-1 के कार्यालय जाप दिनांक 04.02.2016 के अंतर्गत गठित समिति को प्रगति सूचना भेजेगी -

क.	परियोजना का संक्षिप्त नाम	परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है (संलग्न प्रारूप-2 के प्रस्तर-13 में दिये गये कोड संख्या)	इनोवेटर/ इन्व्यूवेटर का नाम एवं पता तथा सम्पर्क नम्बर	जनपद स्तरीय नवप्रवर्तन/ नवाचार अनुश्रवण समिति द्वारा संस्था को प्रस्ताव प्रेषित करने का दिनांक	संस्था द्वारा परियोजना स्वीकार करने का दिनांक	संस्था द्वारा निर्धारित विषय विशेषज्ञ का नाम जिसके अधीन परियोजना पर कार्य किया जाएगा	कार समिति द्वारा परियोजना पूर्ण करने की प्रथम निर्धारित तिथि	प्रगति विवरण एवं तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

उक्त कार्यालय जाप दिनांक 04.02.2016 में वर्णित सल के निवेशक द्वारा उक्त प्रारूप पर जाप सूचना की समीक्षा की जायेगी तथा उसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। सल के निवेशक द्वारा इनोवेशन/इन्व्यूवेशन कार्यों हेतु विश्वविद्यालय, राज्य सरकार अथवा अन्य संस्थान द्वारा स्वीकृत अनुमति के सदुपयोग को सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त सल द्वारा राजकीय अभियंत्रण आयोग एवं पॉलीटेक्निक के साथ-साथ निजी क्षेत्र की संस्थाओं को भी इनोवेशन/ इन्व्यूवेशन कार्य से जाहान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी जिससे इस कार्यक्रम से जुड़ने वाली संस्थाओं की संख्या में अतिरिक्त वृद्धि हो सके। विभिन्न संस्थाओं- राजकीय एवं निजी, द्वारा इनोवेशन/इन्व्यूवेशन क्षेत्र में किये जाने वाले कार्य की प्रगति का विवरण विभागीय वेबसाइट पर समय-समय पर अपलोड किया जाएगा।

इनोवेशन/इन्व्यूवेशन के उक्त प्रकार के कार्यों के अतिरिक्त सूझ लघु एवं मध्यम स्तरों में टेस्टिंग, प्रोटोटाइप विकसित करने तथा शोध एवं विकास जैसे कार्य करने की आवश्यकता होती है। उनकी इस आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश की सभी पॉलीटेक्निक एवं अभियंत्रण संस्थाओं से यह अपेक्षा है कि सल द्वारा इस प्रकार के कार्यों को भी अपनी संस्था में सफलतापूर्वक अन्वेषण, लेबोरेटरी तकनीकी ज्ञान एवं अन्य सहयोग प्रदान करने हेतु समर्थन प्रदान करें। किसी स्थापित सहयोग द्वारा संस्था में इस प्रकार के कार्यों का करना हेतु आवश्यक संसाधनों, सुविधाओं का प्रदान करना होगा इसके अलावा सल द्वारा सल के समर्थन से संस्था द्वारा प्रारंभित प्रयोगों पर सल द्वारा समर्थन प्रदान किया जायेगा। सभी पॉलीटेक्निक एवं अभियंत्रण संस्थाओं से निवेशक के समर्थन, प्रारंभिक प्रयोगों के लिए सल द्वारा समर्थन प्रदान किया जायेगा।

प्राविधिक शिक्षा उ० प्र० से सम्बद्ध जनपदवार विकासोन्मुखी मुख्य राजकीय पालीटेक्निक की सूची

क्र० सं०	जिला का नाम	संस्था का नाम
001	लखनऊ	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ
002	गोरखपुर	राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर
003	बरेली	राजकीय पालीटेक्निक, बरेली
004	झाँसी	राजकीय पालीटेक्निक, झाँसी
005	इलाहाबाद	एन०आर०इस्टीब्लिशमेंट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद
006	बुलन्दशहर	संठ गंगा सागर जटिया पालीटेक्निक, खुर्जा (बुलन्दशहर)
007	कानपुर	राजकीय पालीटेक्निक, कानपुर
008	आजमगढ़	सावित्री बाई फुले राजकीय पालीटेक्निक, आजमगढ़
009	आगरा	राजकीय वर्ग संस्था I, आगरा
010	गिर्जापुर	राजकीय पालीटेक्निक, गिर्जापुर
011	मुरादाबाद	राजकीय पालीटेक्निक, मुरादाबाद
012	बस्ती	राजकीय पालीटेक्निक, बस्ती
013	गोण्डा	राजकीय पालीटेक्निक, गोण्डा
014	फैजाबाद	राजकीय पालीटेक्निक, फैजाबाद
015	महोबा	राजकीय पालीटेक्निक, महोबा
016	गाजीपुर	राजकीय पालीटेक्निक, गाजीपुर
017	दिल्ली	राजकीय पालीटेक्निक, दिल्ली
018	इटावा	राजकीय पालीटेक्निक, इटावा
019	अमेठी	राज्य गांधी पालीटेक्निक, जगदीशपुर (अमेठी)
020	शाहजहाँपुर	राजकीय पालीटेक्निक, शाहजहाँपुर
021	गाजियाबाद	राजकीय पालीटेक्निक, गाजियाबाद
022	कासगंज	राजकीय पालीटेक्निक, सोरों (कासगंज)
023	मैनपुरी	राजकीय पालीटेक्निक, मैनपुरी
024	फतेहपुर	राजकीय पालीटेक्निक, फतेहपुर
025	बादा	राजकीय पालीटेक्निक, बादा
026	जालौन	राजकीय पालीटेक्निक, उरई (जालौन)
027	देवरिया	राजकीय पालीटेक्निक, देवरिया
028	बदायूं	राजकीय पालीटेक्निक, बदायूं
029	बहराइच	राजकीय पालीटेक्निक, बहराइच
030	प्रतापगढ़	राजकीय पालीटेक्निक, प्रतापगढ़
031	लखीमपुर खीरी	राजकीय पालीटेक्निक, लखीमपुर-खीरी
032	बाराबंकी	राजकीय पालीटेक्निक, बाराबंकी
033	सोनभद्र	राजकीय पालीटेक्निक, सोनभद्र
034	सुनार	राजकीय पालीटेक्निक, सुनार
035	फर्रुखाबाद	राजकीय पालीटेक्निक, फर्रुखाबाद
036	रायबरेली	राजकीय पालीटेक्निक, रायबरेली
037	सुरगढ़	राजकीय पालीटेक्निक, सुरगढ़
038	बलिया	राजकीय पालीटेक्निक, बलिया
039	सिद्धार्थ	राजकीय पालीटेक्निक, सिद्धार्थ
040	सिद्धार्थ	राजकीय पालीटेक्निक, सिद्धार्थ
041	सिद्धार्थ	राजकीय पालीटेक्निक, सिद्धार्थ
042	सिद्धार्थ	राजकीय पालीटेक्निक, सिद्धार्थ
043	सिद्धार्थ	राजकीय पालीटेक्निक, सिद्धार्थ
044	सिद्धार्थ	राजकीय पालीटेक्निक, सिद्धार्थ
045	सिद्धार्थ	राजकीय पालीटेक्निक, सिद्धार्थ
046	सिद्धार्थ	राजकीय पालीटेक्निक, सिद्धार्थ
047	सिद्धार्थ	राजकीय पालीटेक्निक, सिद्धार्थ
048	सिद्धार्थ	राजकीय पालीटेक्निक, सिद्धार्थ
049	सिद्धार्थ	राजकीय पालीटेक्निक, सिद्धार्थ
050	सिद्धार्थ	राजकीय पालीटेक्निक, सिद्धार्थ

042	सोनभद्र	राजकीय पालीटैक्निक, राबर्टसगंज, सोनभद्र
043	मऊ	राजकीय पालीटैक्निक, मऊ
044	अम्बेडकर नगर	छत्रपति शाहूजी महाराज रा0पा10 अम्बेडकर नगर
045	भदोही	राजकीय पालीटैक्निक, औराई (संत रविदास नगर) भदोही
046	अमरोहा	महामाया पालीटैक्निक आफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी, ज्योतिबा फुले नगर
047	हाथरस	महामाया पालीटैक्निक आफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी, महामाया नगर (हाथरस)
048	चन्दौली	महामाया पालीटैक्निक आफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी, चन्दौली
049	दित्रकुट	राजकीय पालीटैक्निक, मन्दिफपुर (दित्रकुट)
050	हमीरपुर	राजकीय पालीटैक्निक, हमीरपुर
051	कौशांबी	महात्मा ज्योतिबाफुले राजकीय पालीटैक्निक, कौशांबी
052	औरैया	बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय पालीटैक्निक, औरैया
053	कन्नौज	मान्यवर काशीराम राजकीय पालीटैक्निक, कन्नौज
054	सिद्धार्थ नगर	महाकारुणिक तथागत गौतमबुद्ध राजकीय पालीटैक्निक, सिद्धार्थ नगर
055	श्रावस्ती	तथागत गौतमबुद्ध राजकीय पालीटैक्निक, श्रावस्ती
056	बलरामपुर	छत्रपति शाहूजी महाराज राजकीय पालीटैक्निक, बलरामपुर
057	कानपुर देहात	राजकीय पालीटैक्निक, सिकन्दरा, कानपुर देहात
058	एटा	राजकीय पालीटैक्निक, सिकन्दराराव, एटा
059	बलिया	राजकीय महिला पालीटैक्निक, बलिया
060	गुजफूरनगर	राजकीय महिला पालीटैक्निक, शामली (गुजफूरनगर)
061	गौतमबुद्ध नगर	डौ0 मायावती राजकीय महिला पालीटैक्निक, बायलपुर, गौतमबुद्ध नगर
062	मैरठ	डौ0गुस्त्रार सिंह राजकीय महिला पालीटैक्निक, दौराला (मैरठ)
063	कुशीनगर	राजकीय पालीटैक्निक, देवरिया
064	महाराजगंज	राजकीय पालीटैक्निक, गोरखपुर
065	संत कबीर नगर	राजकीय पालीटैक्निक, बस्ती
066	अलीगढ	संत राम सागर जटिया पालीटैक्निक, खुर्जा (दुलन्द्यशहर)
067	हापुड़	राजकीय पालीटैक्निक, गाजिआबाद
068	मथुरा	राजकीय दूर संचालन, अमरा
069	रायबरेली	राज्य गांधी पालीटैक्निक, जमशेडपुर (जमशेड)
070	साम्भल	राजकीय पालीटैक्निक, मुसावादाबाद
071	सीतापुर	राजकीय पालीटैक्निक, शौहजरीपुर
072	मुल्तानपुर	राज्य गांधी पालीटैक्निक, जमशेडपुर (जमशेड)
073	शामली	राजकीय महिला पालीटैक्निक, शामली (गुजफूरनगर)
074	वाराणसी	राजकीय महिला पालीटैक्निक, वाराणसी
075	दामपत	डौ0गुस्त्रार सिंह राजकीय महिला पालीटैक्निक, दौराला (मैरठ)

प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में इन्वेंशन/इन्क्यूबेशन हेतु प्रथम बार विचार/प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप:-

1. पूरा नाम :
2. आवेदक की आयु :
3. आवेदक की शैक्षिक योग्यता :
4. आवेदक का व्यवसाय :
5. आवेदक का उत्तर प्रदेश में पता :
6. पते में अंकित जनपद :
7. पते का पिनकोड :
8. आवेदक का मोबाइल नं० :
9. आवेदक का अन्य सम्पर्क दूरभाष :
10. आवेदक का ई-मेल :
11. आवेदन वाले विचार/प्रस्ताव का विषय :
12. आवेदक का विचार

कृपया एक टिक करें।

क- सरकारी प्रक्रिया का सरलीकरण

ख- गैर सरकारी प्रक्रिया का सरलीकरण

13. विचार विकसित करने से निम्न में से किस क्षेत्र में लाभ होगा :-

विषय:	कोड संख्या
अ- कृषि	1
ब- उद्योग	2
स- नशील पर कार्य की सुरक्षा बढ़ाना	3
द- सेवा	4
ध- प्रक्रिया का सरलीकरण	5
ण- प्रशिक्षण	6
च- प्रशिक्षण की सुरक्षा	7
छ- प्रशिक्षण की सुरक्षा	8

शासकीय अनुदानित/राजकीय अभियन्त्रण संस्थाओं की सूची

क्र.सं.	कालेज का नाम
01A.	एच0बी0टी0आई0, कानपुर ।
02 A.	बी0आई0ई0टी0, झांसी ।
03 A.	के0एन0आई0टी0, सुल्तानपुर ।
04 A.-	यू0पी0टी0टी0आई0, कानपुर ।
05 A.	आई0ई0टी0, लखनऊ ।
06 A.	मदनमोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर (आवासीय)
07 A.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, अम्बेडकरनगर ।
08 A.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, आजमगढ़ ।
09 A.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बौदा ।
10 A.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बिजनौर ।
11 A.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज ।
12 A.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, नैतपुरी ।
13 A.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, सोनसद ।